

Women Development Corporation, Bihar Dept. of Social Welfare 2nd Floor, Indira Bhawan, R C Singh Path Patna 800 001, Ph – 0612 2534096/2547843 www.wdcbihar.org.in

Ref No. 876 MDC 18-19

Date: 07 8 1 1 8

Tender Notice

Women Development Corporation, Bihar invites bids from experienced and registered agencies for construction of Tableau proposed to be brought as a part of Independence Day Parade – 2018 at Gandhi Maidan, Patna.

The bids may be submitted in the office of the undersigned by 09.08.2018, 3 PM. Bids would be opened on the same day at 4 PM in the presence of the bidders or their authorized representative who wish to participate.

Terms & Condition:

- 1. A copy of the agency's registration certificate is to be submitted with the bid.
- 2. The bidding agency should have minimum experience of 3 years in this field.
- 3. The agency should have GST registration.
- 4. The detail concept and theme is enclosed with this notice and can also be downloaded from the Corporation's website www.wdcbihar.org.in.
- 5. The construction of the tableau has to be done in the Truck/Trailer to be provided by the Patna District Administration.
- No advance would be provided to the agency for the assignment and in case the work is not done satisfactorily, appropriate penalty in form of deduction from the payment would be done.
- 7. The undersigned reserves the right to reject one or all the proposals without assigning any reason.

Managing Director

1



झाँकी का विषय :- "दहेज प्रथा (कन्या उत्थान योजना), बाल विवाह"

Particular

- बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं सामाजिक कुरीतियों पर जीवंत प्रदर्शनी
 एवं मंचन।
- बाल विवाह निवारण के लिये सामुदायिक स्तर पर जागरूकता हेतु प्रस्तावित प्रचार-प्रसार की झलक।
- दहेज के दुष्परिणाम एवं सामाजिक कुरीतियों पर जीवंत प्रदर्शनी एवं मंचन।
- दहेज के कारण मिहलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं उनकी रोक—थाम तथा सहायता हेतु राज्य में चलाये जा रहे प्रयासों की प्रदर्शनी।
- 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के अंतर्गत राज्य में कन्या शिशु के जन्म को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वावलंबन के साथ ही बाल-विवाह एवं स्वावलम्बन के साथ ही बाल-विवाह एवं दहेज प्रथा को कम करना।



Annexure :-II (For 15 August, 2018 Tableau)

Financial Bid Format

| SPECIFICATIONS | Total Cost (Rs.) |
|--|---------------------|
| - Construction of the tableau will be made on full truck provided by district administration. | |
| - Face and the whole structure will be good quality appropriate materials like plywood/acrylic sheet/ plaster of Paris/ fiber glass complete with fitting, fixing and painting according to approved designn a nd model. used and old material is not be used. | |
| Painting will be done by good Quality plastic paint (Asian paints or ICI) and through paint compressor machine where ever required as per colour pattern approved by Nodal Officer and his team. | |
| Letter writing and logo will be made by thermocol cut out letters or in best quality Star Flex as per the design and will be fully decorated by flowers and fem leaves. | |
| - Flower garden of one feet height along the edge of the entire truck as boundary. | |
| - Floral decoration (garden/hedge) with real natural seasonal multicoloured flowers in equal numbers (Orchid / Gerbera / Pitunia Chrysanthemums/ Merigold) to cover around 500 sq ft. area. potted Plants (Gerbera / Pitunia/ Chrysanthemums/ Merigold/ Crotan) in 8 inch wide new/newly coloured | |
| terracotta pots as required (Minimum 100 Flower Pots.) - The entire floor will be made as per design and specification approved by Nodal Officer and his team. | 9 |
| - Frill work by new satin cloth of specified colour will also be fixed in the entire floor on the lower part. | |
| Women Empowerment related messages will be written on all lower portion of truck. | |
| - 30 professional Artists (Female-15 (Male-10 good masculine physique to be approved by Nodal Officer and his team). and 5 Children (both boys and girls of age group 5 to 10 yrs) dressed in special costumes. | |
| - Stairs need to be provided for the artists to climb on the truck on which the tableau would be made. | |
| - Heavy duty music system with sound boxes. | |
| 100 of each colour helium gas balloons (tricolor-orange/white/green, 50 of each colour) with message related to Women Empowerment and gender descrimination. (Provided by Women Development Corporation, Bihar) Printed on each flex (size: 3ft X 5 pieces) attached to it. | |
| Total | |
| GST | |

झाँकी हेतु नियम एवं शर्ते



- 1. झांकी का निर्माण महिला विकास निगम, बिहार को प्रस्तुत चित्र तथा विभागीय पदाधिकारी एवं उनके दल द्वारा दिए गए दिशा—निर्देश के अनुरूप किया जाना है। झांकी का निर्माण की संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संलग्न Annexure- 'II' में दृष्टव्य है।
- 2. प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का निर्माण कार्य निश्चित तौर पर दिनांक— 14 अगस्त, 2018 के संध्या 7:00 बजे तक तैयार हो जानी चाहिए तथा पेन्ट/फूल इत्यादि से Finishing Touches देकर सम्पूर्ण झांकी 15 अगस्त, 2018 को प्रातः 4 बजे तक निश्चित रूप से तैयार हो जानी चाहिए।
- 3. निविदादाताओं द्वारा झांकी निर्माण के कार्य में जिस कलाकार की सेवा ली जाएगी, वो कलाकार किसी संस्था प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित होने चाहिए एवं पेशेवर कलाकारों की संख्या कम—से—कम 30 (तीस) होनी चाहिए जिसमें 10 पुरूष (जिसमें 08 बुलंद व्यक्तित्वं के), 10 महिलायें, 05 बच्चे (05 वर्ष से 10 वर्ष के) होने चाहिए। तत्संबंधी पेशेवर कलाकारों के सहमति—पत्र (बच्चों को छोड़कर) के साथ प्रशिक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
- 4. झांकी में जो 3-D models का निर्माण किया जाना है को मान्यता प्राप्त आर्ट्स कॉलेज से प्रशिक्षित कलाकारों के माध्यम से करवाया जाना है। इन कलाकारों के Credentials (attested photocopies of certificates) एवं इनके द्वारा पूर्व में बनाए गए एक (3-D Models के Proof) निविदा के साथ समर्पित किए जाने हैं।
- 5. झांकी निर्माण के दौरान सभी कलाकर एवं अन्य कर्मी महिला विकास निगम, बिहार के झांकी निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/संस्था के कार्य में नहीं लगे होना चाहिए।
- 6. झांकी का निर्माण जिला प्रशासन/सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये बड़े ट्रेलर (ट्रक) पर महिला विकास निगम, बिहार द्वारा अनुमोदित आलेख एवं डिजाईन के अनुरूप कार्य स्थल पर उपस्थित विभागीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी के निदेशानुसार करना होगा।
- 7. झांकी के निर्माण में कम-से-कम 50 विभिन्न प्रकार के रंगीन फूल वाले गमलों का भी इस्तेमाल किया जायेगा। सभी गमलों को विभागीय पदाधिकारी के निवेशानुसार पेन्ट से रंगा जाना है।
- 8. झांकी के निर्माण के प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री नई होनी चाहिए। सभी कपड़े के झालर में साटन रंगीन कपड़ों से बनाना है।
- 9. झांकी से संबंधित अन्य जानकारी संलग्न 'Annexure -II' में दृष्टव्य है।
- 10. झांकी में जिस सतह पर जहाँ जहाँ पेन्ट प्रयोग किया जाना है, का सतह पेन्ट करने के पश्चात बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए।

- 11. झांकी प्रदर्शित होने तक झांकी की सुरक्षा की सभी प्रकार की पूर्ण जिम्मेवारी निविदाता की होगी।
- 12.प्रदर्शन अवधि में अथवा प्रदर्शन से पूर्व झांकी में किसी प्रकार की टूट-फूट, कमी अथवा प्रदर्शन में असफल होने पर भुगतान नहीं किया जायेंगा।
- 13.झांकी प्रदर्शन के उपरांत साल्वेज निविदाता को होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही निविदाता अंकित करेंगे।
- 14.झांकी में भाग लेने वाले कलाकार, उनका Proof of identification. परिचय-पत्र हेतु फोटो, उनके लिए कार्ड, परिधान, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक, साउण्ड बॉक्स, विभागीय पदाधिकारी के निदेशानुसार Artificial एवं Natural फूलों की समुचित मात्रा, झांकी के विषय से संबंधित सभी परिचायात्मक आकर्षक फोल्डर आदि की व्यवस्था निविदाता को स्वयं करनी होगी।
- 15. झांकी निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्याविध में विभागीय पदाधिकारी (श्री सुदीप चौधरी / पुरूषोत्तम प्रकाश / रामाकान्त यादव) से दूरभाष संख्या 0612—2534096, अथवा 9955998008 / 9955998064 / 9955998065 पर सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।
- 16.झांकी प्रदर्शन के पश्चात् विधिवत् विपन्न उपस्थापित किए जाने के उपरांत भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जानी है।
- 17. झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन से संबंधित सभी प्रकार के कर भुगतान एजेंसी द्वारा ही किया जाना है। सरकारी नियमों के अनुसार जहाँ उपयुक्त है वहाँ TDS/ अन्य टैक्सों जो सरकारी नियमानुसार लागू हों की कटौती भी भुगतान के समय की जाएगी। झांकी निर्माण / प्रदर्शन कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने अथवा एजेंसी के द्वारा झांकी निर्माण / प्रदर्शन कार्य में अनियमितता बरतने पर न्यूनतम 5 से अधिकतम 25 प्रतिशत तक अथवा प्रबंध निदेशक को जो भी मान्य हो, की कटौती भी की जा सकती है।
- 18.किसी भी निविदादाताओं को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार महिला विकास निगम, बिहार को सुरक्षित होगा। निविदा के रद्द होने पर निविदादाताओं को किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
- 19.महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार एवं एजेंसी के मध्य होने वाली किसी प्रकार के विवाद को प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग को निर्णयार्थ प्रेषित किया जाएगा एवं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।